क्रमांक 416-3 जी0 एस0 11-72/2512

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा राज्य के सभी उप मण्डल अधिकारी ।
2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा राज्य के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 27 जनवरी, 1972

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4066-3 जी0एस0 11-71/22959, दिनांक 29-7-71 की ओर दिलाऊं जिस में अन्य बातों के साथ-साथ एक शपथ-पत्र (प्र0फोर्मा ए/I) भी भेज दिया गया था जिसे हकदारों द्वारा भरा जाता था । समस्त सम्बन्धित सूचना, विशेषकर कमाने वालों सदस्यों तथा अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय, को ठीक ठीक प्राप्त करने के उद्देश्य से शपथ-पत्र के फार्म को संशोधित किया गया है, संलग्न है । अतः अनुरोध है कि, भविष्य में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (वैल फेयर सैल) को केस भेजने से पहले कृपया आवेदकों से शपथ पत्र का संशोधित फार्म भरवाया जाया करे ।

भवदीय,

हस्ता/—

अवर सचिव, (प्रशासन)

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

क्रमांक 416-3जी0 एस0 11-72/2513, दिनांक 27 जनवरी, 1972

एक प्रति महालेखा पाल, हरियाणा, शिमला को तथा सभी वित्तायुक्त, तथा सभी प्रशासकीय सचिवों हरियाणा सरकार को सूचना के लिये भेजी जाती है ।

शपथ पत्र

मैं ——————————————————————स्व0 श्री/श्रीमति

निवासी ——————————————तहसील——————————जिला ————————इस के द्वारा सत्यानिष्ठा/पूर्वक कहता/कहती हूं कि मेरे पति/पिता की मृत्यु के समय उन के तथा उन के परिवार के सभी सदस्यों के पास निम्नलिखित सम्पत्ति थी

1. बैंक/डाकखाने में राशि
2. बीमा पालिसी की राशि
3. नकदी/आभूषण
4. चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा अन्य निवेश

कि परिवार के निम्नलिखित सदस्य नौकरी पर लगे हैं (प्रत्येक केस में अलग-अलग आय बताई जाय)

1.
2.
3.

कि परिवार के निम्नलिखित आय के साधन हैं (आय का ब्यौरा दे दिया जाना चाहियें)

अभि साक्षी

सत्यापन

मैं आगे निश्चय पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान के लिये भेजे गए आवेदन पत्र में दी गई सूचना तथा शपथ पत्र में दी गई सूचना मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ठीक है एवं सत्य है और मैंने इस में कोई भी बात छुपा कर नहीं रखी है।

अभि साक्षी